162/07 मु० मुगली — हनुमानाराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30-4-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । बहस उभयपक्षों पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 8-1-2015 को न्यायालय में जाहिर कर दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-6 का देहान्त हो चुका उसके कायम मुकाम की कार्यवाही की जावे। अपीलान्ट ने आज दिनांक तक अर्थात 3 वर्ष 3 माह 17 दिन निकल जाने के बाद भी कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई । तथा [illegible] रेस्पो० सं०-12 व 13 के नोटिस भी बार बार लिखने पर भी पेश नहीं किया और लगभग 10 साल 7 माह का समय अपील पेश किये हो [illegible] गया किन्तु तलबी कराने में अपीलान्ट विफल रहा है । अदालत मातहत में दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक साथ पेश किया जो सभी के विरूद्ध डिक्री किया गया है ।इस कारण यह अपील केवल रेस्पोडेन्ट संख्या-6 के विरूद्ध ही अबैट नहीं की जा सकती बल्कि यह सम्पूर्ण अपील अबैट होगी जैसा ए०आई०आर० 1963(एस०सी०) पेज 553 एवं ए०आई०आर 1970(कलकता) पेज-99 में स्पष्ट किया है। प्रस्तुत नजीरों में अपील सम्पूर्ण रूप से ही अबैट होना माना जायेगा चूँकि सभी अपीलांटस का संयुक्त हित/अनुतोष निहित है इस कारण अपील इन टोटो अबैट होगी न की मृतक के हिस्से तक। इस कारण अपीलान्ट की अपील इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण अपील अबैट की जाती है ।अतः अपील अपीलांट अबैट किये जाने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 30/4/18 ([illegible])	